

जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हेतु अथवा कार्यवाही नाम इनिशियल वगैरा
हतराम बनाम ~~विश्वेश्वर~~ ग्यारदा

मु. सं. 58/14

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

दिनांक 29-11-2019

आज पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इसके अलावा वादी को बार बार निर्देशित करने के उपरान्त भी अवशेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तलबाना सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी अपने वाद पत्र के प्रति गंभीर नहीं है तथा वाद पत्र को चलाना नहीं चाहता है।

अतः वादी का वाद पत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

2
उपखण्ड अधिकारी
महवा (विश्वेश्वर)